संख्या. 784 /18–4–2008–2(निर्यात)/04

प्रेषक

जैकब थामस,
प्रमुख सचिव, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2008

विषयः प्रदेश के निर्यातकों को ''त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना'' के अन्तर्गत 'निर्यात पुरस्कार' से पुरस्कृत किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो के पत्र संख्या – 923/ईपीबी/रा0नि0पु0शा0/07–08, दिनांक 14.2.08 के संदर्भ में त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को पुरस्कृत किये जाने हेतु ''निर्यात पुरस्कार'' का प्राविधान किया गया है । योजना के सफल संचालन हेतु चयन समिति का गठन व चयन प्रक्रिया निम्नवत होगीः–

1. निर्यात आयुक्त निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0	अध्यक्ष
2. प्रतिनिधि–आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उ0प्र0	सदस्य
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम लि0	सदस्य
4. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान	सदस्य
5. सदस्य निर्यात संवर्धन परिषद (प्रत्येक तीन कौंसिल के सदस्य रोटेशन के आधार पर	सदस्य
6. अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो	सदस्य/समन्वयक

चयन प्रक्रिया

1. निर्यात प्रधान जनपदों के महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र निर्यात पुरस्कारों के चयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के द्वितीय सप्ताह में समाचार पत्रों के माध्यम से निर्यात पुरस्कार से सम्बन्धित समस्त विवरण/सूचनाएँ प्रचारित एवं प्रसारित करायेंगे तथा जिले के निर्यातकों से संलग्नक–3 पर उपलब्ध आवेदन पत्र में निर्यात पुरस्कार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त करेंगे।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का दायित्व होगा कि जिले के समस्त निर्यातकों से प्राप्त उक्त आवेदन पत्र में भरी सूचना सत्यापित कर अपनी संस्तुति एवं वांछित प्रपत्रों सहित विवरण 31 जुलाई तक निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे ।
3. निर्यातक की परिभाषा वही होगी जो समय–समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
4. निर्यातक के अन्तर्गत मर्चेन्ट और मैन्यूफैक्चरर दोनों सम्मिलित माने जायेंगे ।

5. प्रार्थना–पत्र देने हेतु वही निर्यातक कम्पनियां/इकाईयां पात्र होंगी जिनका निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो में पंजीकरण होगा तथा गत दो वर्षों में कम से कम रु0 30.00 लाख का प्रत्येक वर्ष अलग–अलग निर्यात रहा हो । जिसकी पुष्टि हेतु सी0ए0/बैंक से प्राप्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
6. प्रार्थना–पत्र संलग्नक–2 पर उपलब्ध 25 श्रेणियों में प्राप्त करने हेतु आमंत्रित किये जायेंगे । एक निर्यातक कम्पनी/इकाई केवल एक ही श्रेणी में आवेदन करने हेतु पात्र होगी ।
7. संलग्नक–1 में उपलब्ध गाइड लाइन्स के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर अलग–अलग गणना कर उन्हें अंक प्रदान किये जायेंगे । अंकों के आधा पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय निर्यातक पुरस्कार प्रदान किया जायेगा ।
8. निर्धारित श्रेणियों में प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कारों के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को एक पुरस्कार अलग से दिया जायेगा। सर्वश्रेष्ठ निर्यातक का चयन सभी निर्यातक श्रेणियों में अधिकतम् निर्यात मूल्य को 75 अंक तथा अधिकतम् निर्यात की दिशा को 25 अंक देते हुये समस्त श्रेणियों में गणनानुसार कुल 100 अंकों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा ।
9. किसी इकाई को प्रथम/द्वितीय कोटि के निर्यात पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने के पश्चात् अगले तीन वर्षों तक उसे उस श्रेणी में उसी कोटि (प्रथम/द्वितीय) से पुरस्कृत नहीं किया जायेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध न तो द्वितीय कोटि से प्रथम अथवा प्रथम कोटि से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हेतु और न ही सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की कोटि में पुरस्कृत किये जाने हेतु लागू होगा ।
10. पुरस्कार चयन समिति की बैठक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व अवश्य आयोजित करा ली जायेगी।

ह0
(जैकब थामस)
प्रमुख सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग,
उ0प्र0 शासन ।

संख्या– 784 (1) /18–4–2008–10 (बजट)2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समिति के सदस्यगण ।
2. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 कानपुर/ अध्यक्ष, यू0पी0टी0पी0ए0, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
3. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग उ0प्र0 ।
4. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र उ0प्र0 ।
5. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी ।
6. निर्यात आयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ ।
7. लघु उद्योग अनुभाग–4 (गार्ड बुक हेतु)

ह0
(मारकण्डेय सिंह)
विशेष सचिव,
लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन ।

राज्य निर्यात पुरस्कार चयन हेतु गाइड लाइन्स के निर्धारित मापदण्ड

1. सर्वाधिक निर्यात करने वाली इकाई को निर्यात मूल्य पर 75 अंक प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार अन्य निर्यात इकाईयों के निर्यात मूल्य को सर्वाधिक निर्यात मूल्य से विभाजित कर 75 से गुणा करके निकाले जायेंगे।

अर्थात–   निर्यात मूल्य (वर्तमान वर्ड्ढ) ग 75
――――――――――――――――――――――――――― त्र .... अंक
सर्वाधिक निर्यात मूल्य

2. सभी निर्यातक इकाईयों के वर्तमान वर्ष के निर्यात मूल्य को गत वर्ष के निर्यात मूल्य से विभाजित कर निर्यात की दिशा का आकलन किया जायेगा।

अर्थात–   निर्यात मूल्य (वर्तमान वर्ष)
निर्यात की दिशा त्र ――――――――――――――――――――――――――― ....अंक
निर्यात मूल्य (गत् वर्ष)

3. सर्वाधिक निर्यात की दिशा दिखाने वाली इकाई को 25 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा प्रत्येक निर्यात इकाई की निर्यात दिशा को सर्वाधिक निर्यात दिशा से विभाजित कर 25 से गुणा करके अंक प्रदान किये जायेंगे।

अर्थात–   निर्यात की दिशा ग 25
――――――――――――――――――――――――――― त्र ....अंक
सर्वाधिक निर्यात की दिशा

4. प्रत्येक निर्यातक इकाई के प्राप्त निर्यात मूल्य के अंकों व निर्यात की दिशा के लिए प्राप्त अुंकों को जोड़कर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली इकाई को प्रथम पुरस्कार तथा उससे कम अंक पाने वाली इकाई को द्वितीय पुरस्कार हेतु चयनित किया जायेगा।

अर्थात–   निर्यात मूल्य अंक. निर्यात की दिशा के अंक त्र .... अंक

5. सर्वश्रेष्ठ निर्यातक का चयन सभी निर्यातक श्रेणियों में अधिकतम् निर्यात मूल्य को 75 अंक तथा अधिकतम् निर्यात की दिशा को 25 अंक देते हुये समस्त श्रेणियों में उपरोक्तानुसार गणनानुसार कुल 100 अंकों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा ।

6. किसी इकाई को प्रथम/द्वितीय कोटि के निर्यात पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने के पश्चात् अगले तीन वर्षों तक उसे उस श्रेणी में उसी कोटि (प्रथम/द्वितीय) से पुरस्कृत नहीं किया जायेगा किन्तु यह प्रतिबन्ध न तो द्वितीय कोटि से प्रथम अथवा प्रथम कोटि से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हेतु और न ही सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की कोटि में पुरस्कृत किये जाने हेतु लागू होगा।

एनेक्जर–2

राज्य निर्यात पुरस्कार हेतु निर्धारित श्रेणियाँ

श्रेणी कोड	श्रेणी का नाम
01	हस्तनिर्मित ऊनी/सूती, कालीन एवं दरियाँ
02	पीतल एवं कलात्मक धातुओं के उत्पाद
03	चर्म एवं चर्म उत्पाद
04	सूती वस्त्र, धागे एवं सिले–सिलाये वस्त्र
05	कृषि एवं औद्यानिक उत्पाद प्रसंस्कृत फल एवं खाद्य उत्पाद इत्यादि
06	इंजीनियरिंग एवं बिल्डर्स हार्डवेयर
07	काष्ठ के कलात्मक उत्पाद
08	जरी, चिकन कढ़ाई के उत्पाद
09	मार्बल एवं पत्थर के उत्पाद
10	कॉच व सिरामिक के उत्पाद
11	खेलकूद के सामान
12	रत्न एवं आभूषण
13	रेशमी वस्त्र एवं अन्य उत्पाद
14	केमिकल, फार्मास्यूटिकल एवं कॉस्मेटिक उत्पाद
15	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
16	आई.टी. (इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी)
17	प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट
18	पॉवरलूम
19	हैण्डलूम
20	सिन्थेटिक एवं रेयॉन टेक्सटाइल्स/यार्न
21	प्लास्टिक व प्लास्टिक के उत्पाद
22	इत्र, असेन्सियल ऑयल्स इत्यादि
23	वूल्स एवं वूलेन उत्पाद
24	स्पाईसेस (मसाले)
25	अन्य उत्पाद

एनेक्जर–3

निर्यात पुरस्कार योजनान्तर्गत आवेदन पत्र

जनपद............. *वर्ष..............* *आवेदित श्रेणी कोड...............*

1. निर्यातक इकाई का नामः मे0————————————

QkVk fpidk; rFkk ,d vkonu i= d lkFk lyXu djA

2. कार्यालय का पता / दूरभाष / फैक्स / ई–मेल
————————————
————————————
————————————
————————————

3. कार्यशाला का पता / दूरभाष / फैक्स / ई–मेल
————————————
————————————
————————————
————————————

4. इकाई का स्वरूप : ————————————————————————————————
(एकल स्वामित्व / साझेदारी / कम्पनी / अन्य)

5. इकाई के मालिक / अधिशाषी अधिकारी का नामः
————————————————————

6. इकाई की श्रेणी लघु उद्योग / मध्यम / वृहद उद्योग / :————————————————————
मर्चेन्ट एक्सपोर्टर

7. लघु उद्योग पंजीकरण / ज्ञापन संख्या एवं दिनांक
————————————————————
(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)

8. निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो पंजीकरण संख्या एवं दिनांक :
——————————————————

(प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)

9. निर्यात प्रोत्साहन परिषद/बोर्ड का नाम जिसमें : ————————————————————
इकाई पंजीकृत है (प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)

10. निर्यात किये जाने वाले उत्पाद/उत्पादों का विवरण : ————————————————

11. देशों के नाम जिनको निर्यात किया गया : ——————————————————————

12. आयात–निर्यात कोड संख्या व दिनांक : ——————————————————————
(प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करें)

13. पुरस्कार हेतु आवेदित श्रेणी विवरण : ——————————————————————
(केवल एक श्रेणी में आवेदन करें)

14. विगत् दो वर्षों के निर्यात से सम्बन्धित एफ0ओ0बी0 मूल्य (बैंक/सी0ए0 द्वारा प्रमाणित आँकड़े ही मान्य, बैंक/सी0ए0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

क्र0सं0	वर्ष	एफ0ओ0बी0 मूल्य (लाख रू0 में)
1.		
2.		

15. यदि शत्–प्रतिशत् निर्यात मूलक इकाई है तो क्या वह अपने एक्सपोर्ट ओबलीगेशन के अनुरूप निर्यात का लक्ष्य पूरा कर रही है: ——————————————————————

16. गत् वर्षों में प्राप्त राज्य निर्यात पुरस्कार का विवरण :

क्र0सं0	श्रेणी जिसके लिए पुरस्कार मिला	पुरस्कार का वर्ष	पुरस्कार का विवरण (प्रथम/द्वितीय प्रमाण–पत्र/श्रेष्ठता प्रमाण–पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेन्स)
1			
2			

3			

17. इकाई की स्थापना से अब तक की प्रगति तथा कार्य–कलापों का संक्षिप्त विवरण दें कि किस प्रकार इकाई ने उन्नति की । (स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक रूप से आवश्यक विवरण संलग्न करें।)

<u>*घोषणा*</u>

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूॅं कि आवेदन पत्र में प्रेषित सभी विवरण सत्य हैं। मेरी इकाई के विरूद्ध कभी कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही किसी सरकारी संस्था द्वारा वित्तीय वसूली आदि के लिए दण्डित किया गया है। मुझे निर्यात पुरस्कार चयन समिति का निर्णय मान्य होगा।

(हस्ताक्षर)

दिनांक :——————————————— पूरा नाम व पता/प्रो0

व कम्पनी की सील

नोटः

1. आवेदन पत्र में निर्यात मूल्य/एफ.ओ.बी. मूल्य को केवल भारतीय रूपयों में ही अंकित किया जायेगा। जोकि बैंक/सी0ए0 द्वारा प्रमाणित हो।

2. एफ.ओ.बी. मूल्य वित्तीय वर्ष के अनुसार अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के निर्यात के अनुरूप ही अंकित किया जाये न कि कैलेण्डर इयर के अनुसार।

3. एक्सपोर्ट परफारमेन्स गाइड लाइन्स में अंकित श्रेणियों के निर्दिष्ट बिन्दुओं के अनुरूप ही स्वीकृत किये जायेंगे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4. आवेदन पत्र के सभी बिन्दुओं पर स्पष्ट सूचना/विवरण अंकित किये जायें। कोई भी बिन्दु/कॉलम खाली न छोड़ा जाये। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. सभी आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुतियों सहित निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0, ए– ब्लाक भूतल, पिकप भवन, विभूति खण्ड–10, गोमती नगर, लखनऊ 226010 लखनऊ को सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियों सहित भेजे जायेंगे।

6. विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

7. आवेदन पत्र दो प्रतियों में प्रेषित किया जायेगा।